


न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल महोदय खण्ड पीठ रीवा म०प्र०



R 5444-II/16

रोहणी प्रसाद पाण्डेय तनय हनुमानदीन पाण्डेय निवासी ग्राम पतौरा तहसील उचेहरा, जिला-सतना (म०प्र०) द्वारा मुख्तारआम उमेश पाण्डेय पिता श्री रोहणी प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम हरदोखर पोस्ट पतौरा, तहसील उचेहरा जिला सतना (म०प्र०)

अधिकृत श्री वृजत पाण्डेय
03.X.16

-----पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

- (1) कॅलावती पाण्डेय बेबा भगवानदीन पाण्डेय
- (2) कमलेश पाण्डेय पिता भगवानदीन पाण्डेय
- (3) अखिलेश पाण्डेय पिता भगवानदीन पाण्डेय
- (4) कमलेन्द्र पाण्डेय पिता भगवानदीन पाण्डेय
- (5) पार्वती पाण्डेय पुत्री भगवानदीन पाण्डेय
- (6) भानवती पाण्डेय पुत्री हनुमानदीन पाण्डेय
- (7) विमलेश पाण्डेय पुत्री हनुमानदीन पाण्डेय
- (8) हनुमानदीन पाण्डेय तनय रामहेत पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम पतौरा, तहसील उचेहरा, जिला-रीवा (म.प्र.)

-----गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय आदेश तहसीलदार तहसील उचेहरा, जिला सतना (म०प्र०) जो प्रकरण क्रमांक 54ए/27/14-15में दिनांक 26/07/16 को पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूर.सं 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

(A) यह कि पुनरीक्षणकर्तागण एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता एक ही सजरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5444-II/16

जिला-सतना

राहिणी प्रसाद पाण्डेय/कलावती पाण्डेय


(1)

(2)

(3)

01.02.17

1. प्रकरण प्रस्तुत।
2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।


सदस्य